



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 6 राँची, शुक्रवार,

1 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2020

संख्या-03/नि0सं0-09-07/2019 का. 6096/ श्री दिलीप कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 522/03) तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के संबंध में दिनांक 24.04.2015 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक में अन्य पदाधिकारियों के साथ समिति द्वारा विचार किया गया।

2. तत्समय इनके विरुद्ध नवीनगर थाना काण्ड सं0 64/2003 (जिला-औरंगाबाद, बिहार) में आरोप पत्र की सूचना अप्राप्त रहने के फलस्वरूप समिति द्वारा इन्हें प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा की गई थी ।

3. समिति की अनुशंसा पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने से पूर्व इनके विरुद्ध उक्त नवीनगर थाना कांड संख्या 64/2003 (जिला-औरंगाबाद, बिहार) में वर्ष 2013 में आरोप पत्र समर्पित रहने की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप इनके संबंध में समिति द्वारा की गई प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा को छोड़कर शेष पदाधिकारियों के संबंध में सक्षम स्तर का अनुमोदनोपरांत विभागीय जापांक 4484 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत की गई।

4. दिनांक 24.04.2015 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री तिवारी से कनीय यथा श्री नारायण विज्ञान प्रभाकर (कोटि क्रमांक- 574/03) एवं अन्य को अपर समाहर्ता स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

5. नवीनगर थाना कांड संख्या 64/2003 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर क्रिमिनल मिसलेनियस सं० 2327/2015 दिलीप कुमार तिवारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में नवीनगर थाना कांड संख्या 64/2003 (जिला-औरंगाबाद, बिहार) में निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान को रद्द किया गया तथा श्री तिवारी से इसी आरोप के लिए प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 3398 दिनांक 17.07.2020 मामले को संचिकास्त किया गया है।

6. श्री तिवारी से कनीय श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर (कोटि क्रमांक- 574/03) को अधिसूचना सं० 4484 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि तथा अधिसूचना सं० 5647 दिनांक 27.07.2018 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई है।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत श्री दिलीप कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 522/03) को दिनांक 19.05.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरिक्षित वेतनमान PB-III 15,600-39,100/-ग्रेड पे 7600/-) तथा दिनांक 27.07.2018 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरिक्षित वेतनमान PB-IV 37,400-67,000/-ग्रेड पे 8700/- पुनरिक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

8. श्री तिवारी दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप उन्हें मात्र सेवांत लाभ प्राप्त हो सकेगा।

9. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S) No. 3792/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव।
